415
14/9/12

खण्ड : 12 संख्या : 10, 11, 12

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : 12 जुलाई 1989 ई०

सोमवार, दिनांक : 17 जुलाई 1989 ई०

मंगलवार, दिनांक : 18 जुलाई 1989 ई०

(4) कंकड़बाग कोलनी के भू-गर्भ नालों को सफाई की जटिल समस्या के निदान हेतु दिनांक 8.6.89 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आवास बोर्ड, विश्वास बोर्ड एवं पटना नगर निगम के एक-एक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के बाद आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर कार्रवाई करनी है।

आवास की मरम्मत

1612. श्री राधा कृष्ण किशोर : क्या मंत्री, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि हार्डिंग रोड पटना स्थित प्रश्नकर्त्ता सदस्य का आवास सं०-81 जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।

(2) क्या यह बात सही है कि बरसात में आवास का छत चुने लगता है ?

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त आवास की मरम्मति शीघ्र कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य का आवास 41 है न कि 81 हार्डिंग रोड ।

(2) बरसात में आवास संख्या 41 हार्डिंग रोड के छत चुने की शिकायत मिलते ही टारफौल्टिंग कार्य आरम्भ करवा दिया गया जो प्रगति पर है।

(3) टारफौल्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है जो प्रगति पर है।

दैनिक निबंध

बुधवार तिथि 12 जुलाई, 1989 ई०

संख्या विषय

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर

14 जनसंख्या के आधार पर आवंटन

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 89 (3) के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या-

497, 499, 1368, 1374, 1379, 1383, 1389, 1391, 1392, 1399, 1400, 1404, 1410, 1423, 1429, 1437, 1442, 1451, 1458, 1467, 1471, 1486, 1502, 1511, 1512, 1525, 1527, 1528, 1533, 1534, 1537, 1551, 1554, 1556, 1561, 1576, 1581, 1594, 1602, 1604, 1610, 1611, एवं 1612

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-295 एवं 295 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं एस० के० ग्राफिक्स, हवामहल पटना-6 द्वारा मुद्रित ।

द्वारा परिवाद पत्र एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए शिक्षा आयुक्त, बिहार पटना को अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही यह भी लिखा गया था कि रुपये गोलमाल करने के बिन्दु पर प्रशासी विभाग स्वयं देख लें कि काण्ड दर्ज कराया जा सकता है या नहीं।

आरक्षी उपाधीक्षक पर कार्रवाई

2692.. श्रीचन्द सिंह-क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना कांड सं० 159/88 का छापामारी आरक्षी उपाधीक्षक श्री अशोक कुमार के नेतृत्व में हुआ था।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कांड में जब्त चावल को उक्त आरक्षी उपाधीक्षक अपने साथ ले गए और उसके बदले चीनी का बोरा रखवा दिए तथा अन्य जब्त सामान बिना थाना अभिलेख में इन्ट्री किए अभियुक्तों को लौटा दिए।
3. क्या यह बात सही है कि उस छापामारी में भाग लेनेवाले एक मात्र श्री रंगीला राम दारोगा को आरक्षी अधीक्षक द्वारा दि० 10-10-88 से अबतक निलंबित रखा गया है।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कांड में अनियमित कार्य कराने वाले आरक्षी उपाधीक्षक के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, मुख्यमंत्री

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कबतक नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला केरकेट्टा : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अंशतः स्वीकरात्मक है। प्रश्नाधीन पथ से हुलासी टोला से भवानी टोला के बीच पड़ने वाले गाँव प्रेम टोला, पतिला टोला है जिसको सुविधा पहुँचेगी।

(3) प्रश्नाधीन पथ ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा पक्कीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है। पथ को जोड़ने के लिए 1.50 कि० मी० लम्बी पथ पुल निर्माण की आवश्यकता होगी। निधि के अभाव में तत्काल स्वीकृत करना संभव नहीं है।

पदाधिकारी का स्थानान्तरण

1533. श्री त्रिलोचन कालिन्दी : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिलान्तर्गत क्रमशः पटमदा प्रखंड कार्यालय में 5 वर्षों तक एवं जुगरालाई गोलमुरी, जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश विगत् 5 वर्षों से पदस्थापित हैं। जबकि किसी सरकारी पदाधिाकारी को एक स्थान पर तीन वर्षों के बाद स्थानान्तरण देय हो जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमानुसार उक्त पदाधिकारी का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक नहीं तो क्यों?